भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1371
मंगलवार, 30 जुलाई,2024/8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

हरियाणा में बीबीएसएसएल योजना का लाभ

1371. श्री सतपाल ब्रह्मचारीः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विशेषकर हरियाणा के सोनीपत लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड योजना के लाभों से वंचित किए जा रहे किसानों से संबंधित कोई आंकड़े हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) बीबीएसएसएल योजना का ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बीज उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ख): सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की है । BBSSL को इफको, कृभको, नेफेड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और एनसीडीसी द्वारा संवर्धित किया गया है। बीबीएसएसएल की प्रारंभिक चुकता पूंजी पांच प्रवर्तकों में से प्रत्येक द्वारा 50 करोड़ के योगदान के साथ रु. 250 करोड़ रुपये और अधिकृत शेयर पूंजी रु 500 करोड़ है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) को हरियाणा राज्य से कुल 683 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 32 आवेदक समितियाँ सोनीपत जिले की हैं, जिनमें से 26 सहकारी समितियों को सदस्यता प्रदान की गई है। BBSSL को 23.07.2024 को हरियाणा सरकार से बीज लाइसेंस प्राप्त हुआ है और तदनुसार हरियाणा में सदस्य सहकारी समितियों के नेटवर्क के माध्यम से अपना संचालन शुरू कर दिया है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड फसल पैदावार में सुधार और पारंपरिक प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन हेतु एक प्रणाली के विकास के लिए सहकारी नेटवर्क के माध्यम से एकल ब्रांड नाम के तहत गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, प्रापण और वितरण कार्य करेगी ।

(ग): बीबीएसएसएल सहकारी समितियों के माध्यम से भारत में गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे आयातित बीजों पर निर्भरता कम होगी, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा "मेक इन इंडिया" और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। BBSSL सहकारी समितियों की समावेशी विकास मॉडल द्वारा "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य की प्राप्ति में भी मदद करेगा जहां उन्नत बीजों के उत्पादन और उच्च उपज किस्म (HYV) के बीजों के उपयोग द्वारा फसलों के अधिक उत्पादन से सदस्यों को बेहतर कीमत की प्राप्ति होगी और समिति द्वारा उत्पन्न अधिशेष से वितरित लाभांश से भी सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा ।

******